प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 26/2004

मिलन कुमार

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

दिनांक 15.12.2012 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 26/2004

अपीलार्थी : मिलन कुमार, पिता परदेशी मांझी, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम करमपटपार, थाना बागबाहरा, तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर के.के. देवांगन, अधिवक्ता ।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री आर आर सिन्हा, पैनल अधिवक्ता।

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

निर्णय

(5 दिसंबर, 2012 को पारित)

यह अपील दिनांक 30-05-2003 को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 412/2002 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी मिलन कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दोषसिद्ध कर 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया तथा सह-अभियुक्त दशरथ नेताम को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

2. अभियोजन का संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है :

घटना की तिथि से लगभग 10-12 दिन पूर्व, अपीलार्थी तथा दोषमुक्त किए गए सह-अभियुक्त दशरथ नेताम जीविकोपार्जन हेतु सांपों के साथ ग्राम फुलझर आए थे। वे सांप एवं बिच्छू के काटने के मंत्र सिखाते थे। ग्रामवासी छलू खैरवार, कोंदा उर्फ ओमप्रकाश गोंड, कोमल ध्रुव, राजेन्द्र ध्रुव, अधारू ध्रुव, कार्तिक राम ध्रुव, घासीराम तथा भुनेश्वर उर्फ माखनू, अपीलार्थी एवं सह-अभियुक्त दशरथ के पास मंत्र सीखने गए थे। अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्त दशरथ ने विभिन्न प्रकार के सांप अलग-अलग बक्सों में रखे हुए थे। तीन दिन के प्रशिक्षण के पश्चात्, दिनांक 16-08-2002 को सह-अभियुक्त दशरथ ने डोमी सांप (कोबरा) के विष में डुबोकर लाई का एक-एक टुकड़ा सभी शिक्षार्थियों को दिया। उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने लाई का एक-एक टुकड़ा खाया। लाई खिलाने के पश्चात् सह-अभियुक्त दशरथ ने सभी शिक्षार्थियों से कहा कि घर-घर जाकर भीख मांगना आवश्यक है, अन्यथा मंत्र कार्य नहीं करेगा। अतः सभी शिक्षार्थी अपीलार्थी के साथ मृतक घासीराम के घर भीख मांगने गए। अपीलार्थी ने डोमी सांप निकाला और सांप पकड़ने की शिक्षा देने लगा। अपीलार्थी ने डोमी सांप पकड़ा और मृतक घासीराम से उसे पकड़ने के लिए कहा। मृतक घासीराम ने डोमी सांप को नीचे की ओर अर्थात उसकी पूंछ से पकड़ लिया। उसी समय अपीलार्थी ने डोमी सांप को मृतक घासीराम की गर्दन में लपेट दिया। डोमी सांप ने मृतक घासीराम को काट लिया। इसके पश्चात् सभी शिक्षार्थी अन्य ग्रामीणों के घर भीख मांगने चले गए। लगभग दोपहर 12 से 1 बजे के बीच जब वे सह-अभियुक्त दशरथ के डेरे पर पहुंचे, तब मृतक घासीराम अचेत हो गया। अपीलार्थी मिलन कुमार जड़ी-बूटी लेकर आया और मृतक को खिलाया, परंतु मृतक अचेत ही रहा। इसके बाद वह मृतक को उसके घर ले गया और मृतक के लिए दवा लाने के बहाने वहां से फरार हो गया। सायंकाल लगभग 7 बजे मृतक घासीराम की मृत्यु हो गई। भुनेश्वर (अ.सा.-1), जो मृतक का भाई है, ने थाना महासमुंद में देहाती नालिशी (प्र.पी.-1) दर्ज कराई, जहां देहाती मर्ग सूचना (प्र.पी.-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3) दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी ने पंचों को सूचना (प्र.पी.-5) दी तथा मृतक के शव का मुत्यु समीक्षा (प्र.पी.-6) तैयार किया। शव को सिविल अस्पताल, महासमुंद में शव परीक्षण हेतु प्र.पी.-7क के माध्यम से भेजा गया। डॉ. एन.के. मांडपे (अ.सा.-8) ने शव परीक्षण किया तथा प्रतिवेदन (प्र.पी.-7) प्रस्तुत किया। उन्होंने अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण कोमा तथा मांसपेशीय ऊतक पक्षाघात के कारण हृदय एवं श्वसन विफलता था, जो सर्पदंश से उत्पन्न हुई।

आगे की विवेचना में निरीक्षक एल.के. गायकवाड़ (अ.सा.-9) द्वारा मौका नक्शा (प्र.पी.-2) तैयार किया गया।

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्त दशरथ के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, महासमुंद के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण सत्र न्यायालय, रायपुर को उपार्पित किया गया, जहां से अंतरण पर यह प्रकरण प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद के न्यायालय में प्राप्त हुआ। वहां विचारण संपन्न कर उपर्युक्तानुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया तथा सह-अभियुक्त दशरथ को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री के.के. देवांगन ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्षियों के कथन ठोस एवं विश्वसनीय नहीं हैं। उनके अभिसाक्ष्यों में अनेक विरोधाभास हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। सह-अभियुक्त दशरथ को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः उन्ही साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री आर.आर. सिन्हा ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि एवं दण्ड में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि भुनेश्वर (अ.सा.-1), कृपाराम (अ.सा.-2), राजेन्द्र गोंड (अ.सा.-3), रामाधार ध्रुव (अ.सा.-4) तथा ओम प्रकाश (अ.सा.-5) के साक्ष्य पर आधारित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. भुनेश्वर (अ.सा.-1), कृपाराम (अ.सा.-2) तथा राजेन्द्र गोंड (अ.सा.-3) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि वे सांप पकड़ने का मंत्र सीखने के लिए अपीलार्थी के पास गए थे। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी तथा दोषमुक्त किए गए सह-अभियुक्त दशरथ ने विभिन्न प्रकार के सांप अलग-अलग बक्सों में रखे हुए थे। तीन दिन के प्रशिक्षण के बाद, दिनांक 16-08-2002 को सह-अभियुक्त दशरथ ने डोमी सांप (इंडियन कोबरा) के विष में डुबोकर लाई का एक-एक टुकड़ा उन्हें दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने लाई का एक-एक टुकड़ा खाया। लाई खिलाने के बाद सह-अभियुक्त दशरथ ने उनसे कहा कि घर-घर जाकर भीख मांगना आवश्यक है, अन्यथा मंत्र कार्य नहीं करेगा। अतः वे अपीलार्थी के साथ मृतक घासीराम के घर भीख मांगने गए। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी ने डोमी सांप निकाला और सांप पकड़ने की शिक्षा देना प्रारंभ किया। अपीलार्थी ने डोमी सांप पकड़ा और मृतक घासीराम से उसे पकड़ने के लिए कहा। मृतक घासीराम ने डोमी सांप को नीचे की ओर अर्थात उसकी पूंछ से पकड़ लिया। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलार्थी ने डोमी सांप को मृतक घासीराम की गर्दन में लपेट दिया। डोमी सांप ने मृतक घासीराम को काट लिया। इसके पश्चात् वे अन्य घरों में भीख मांगने चले गए। लगभग दोपहर 12 से 1 बजे के बीच जब वे सह-अभियुक्त दशरथ के डेरे पर पहुंचे, तब मृतक घासीराम अचेत हो गया। उन्होंने आगे कहा कि

अपीलार्थी मिलन कुमार जड़ी-बूटी लाया और मृतक को खिलाई, किंतु मृतक अचेत ही रहा। इसके बाद अपीलार्थी मृतक को उसके घर ले गया और दवा लाने के बहाने वहां से फरार हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि सायंकाल लगभग 7 बजे मृतक घासीराम की मृत्यु हो गई। रामाधार ध्रुव (अ.सा.-4) तथा ओम प्रकाश (अ.सा.-5) ने भी इसी प्रकार के कथन दिए।

7. भुनेश्वर (अ.सा.-1) ने अपने अभिकथन में कहा कि उसने पुलिस को सूचना दी और देहाती नालिशी (प्र.पी.-1) दर्ज कराई, जिस पर मर्ग सूचना (प्र.पी.-3) दर्ज की गई। निरीक्षक एल.के. गायकवाड़ (अ.सा.-9) ने कहा कि भुनेश्वर (अ.सा.-1) द्वारा देहाती नालिशी (प्र.पी.-1) दर्ज कराई गई थी। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने थाना महासमुंद में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-8) पंजीबद्ध की। सहायक उपनिरीक्षक जे.एल. साहू (अ.सा.-10) ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह घटना स्थल पर पहुचे और मृतक के शव का मुत्यु समीक्षा (प्र.पी.-6) तैयार किया तथा शव परीक्षण हेतु शव को शासकीय चिकित्सालय, महासमुंद भेजा। डॉ. एन.के. मांडपे (अ.सा.-8) ने कहा कि उन्होंने मृतक के शव का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्र.पी.-7) प्रस्तुत किया। उन्होंने अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण कोमा तथा मांसपेशीय ऊतक पक्षाघात के कारण उत्पन्न हृदय एवं श्वसन विफलता था, जो सर्पदंश के कारण हुई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 इस प्रकार है :

> **299. आपराधिक मानव वध**- जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1-वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार रोग या अंगशैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2-जहां कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी ।

स्पष्टीकरण 3 मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी मिलन कुमार ने सांप को मृतक की गर्दन में लपेट दिया। अपीलार्थी का कृत्य आकस्मिक था और पूर्व नियोजित नहीं था। यद्यपि मृत्यु कारित करने का उसका प्रत्यक्ष आशय नहीं था, तथापि उसे कम से कम यह ज्ञान अवश्य था कि वह सांप कोबरा है और विषैला है। उक्त कृत्य से मृत्यु होना संभावित था। अतः अपीलार्थी आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती के लिए दोषसिद्ध किए जाने का उत्तरदायी है।

10. मैंने भुनेश्वर (अ.सा.-1), कृपाराम (अ.सा.-2), राजेन्द्र गोंड (अ.सा.-3), रामाधार ध्रुव (अ.सा.-4) तथा ओम प्रकाश (अ.सा.-5) के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी मिलन कुमार ने सांप को मृतक की गर्दन में लपेट दिया था और सांप ने मृतक को काट लिया। उनके साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी होता है। उनकी

साक्ष्य ठोस एवं विश्वसनीय है। अपीलार्थी को झूठा फंसाने का उनका कोई कारण या दुर्भावना प्रतीत नहीं होती।

11. चक्षुदर्शी साक्षियों भुनेश्वर (अ.सा.-1), कृपाराम (अ.सा.-2), राजेन्द्र गोंड (अ.सा.-3), रामाधार ध्रुव (अ.सा.-4) तथा ओम प्रकाश (अ.सा.-5) के समस्त साक्ष्य के समुचित विवेचन पर मैं पाता हूँ कि उनके साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है और अपीलार्थी मिलन कुमार की दोषसिद्धि के लिए आधारस्वरूप स्वीकार की जा सकती है। अतः उपर्युक्त चक्षुदर्शी साक्ष्य के आधार पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज की गई दोषसिद्धि में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

12. उपर्युक्त कारणों से, मुझे इस अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता; अतः यह अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .... Aniruddha Shrivastava , Advocate